न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–18/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00015)

1. नगर परिषद सीकर जरिये आयुक्त श्री श्रवण कुमार विश्नोई, वर्तमान कार्यरत, नगर परिषद सीकर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. महन्त मोहनदास चेला कानदास जाति साधु निवासी गुलाबदास जी की बगीची, रामलीला मैदान के पास सीकर, तहसील व जिला सीकर।
2. तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 26.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 20.04.2017 (प्रकरण संख्या 9/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये जो अपीलधीन आदेश पारित करवाया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत प्रकरण नगर परिषद सीकर के अधीन आबादी भूमि खसरा नम्बर 1674 स्थित है, जो पूर्व में गैर0मु0 आबादी में दर्ज थी इस प्रकार गै0मु0 आबादी भूमि को विकसित करने एवं सुविधा अनुसार पट्टे जारी करने हेतु नगर परिषद अधिकृत है तथा आबादी भूमि पर नगर परिषद का कानूनन अधिकार निहित है लेकिन बिना नगर परिषद को फरीक बनाये ही जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह गलत है एवं काबिले निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि नगर परिषद द्वारा खसरा नंम्बर 1674 में कई व्यक्तियों को पट्टे भी जारी कर रखे है जिस पर पट्टेधारक उपयोग उपभोग कर रहे है, सार्वजनिक स्थल की भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के नाम इन्द्राज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई विधिक अधिकार नही है क्योंकि आबादी भूमि पर राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित करने का विधिक अधिकार नही है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य को नजर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से जो अनुतोष प्राप्त किया है वह अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित नही कर सकती है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की कोई विधिक मान्यता, विधिक प्रभाव, विधिक महत्व, विधिक अस्तित्व नही है जिसको अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.11.2017 को उक्त भूमि पर निमार्ण करने की कोशिश की तो अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आबादी भूमि पर बिना नगर परिषद की अनुमति के निमार्ण करने से मना किया तो रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय की प्रति दिखाई जिस पर अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु दिनांक 22.11.2017 को आवेदन किया, जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 24.11.2017 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि अपीलान्ट के उक्त भूमि में हित निहित है इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 9/2017 बउनवानी महन्त मोहनदास बनाम तहसीलदार सीकर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2017 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि सीकर में अलमशुहर गुलाबदासजी की बगीची के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुलाबदास जी की बगीची, रामलीला मैदान के पास सीकर स्थित है जिसका तत्कालीन ठीकाना सीकर के रावराजा स्व. श्री माधोसिंह के द्वारा स्वामी गुलाबदासजी महाराज को मंदिर व तपस्या के स्थान के लये भूमि प्रदान की गई थी जिसमे आज से करीबन 100–150 वर्ष पूर्व गुलाबदासजी का बगला, भव्य मन्दिर देवी'देवताओं के मंदिर, शिवालय, हनुमानजी आदि के मंदिरों के साथ–साथ अन्य देवी–देवताओं के मंदिर भी काफी पुराने कदीमी वर्षो से बने हुये है तथा समय–समय पर देवलोक वासी हुये महात्माओं की समाधी व उनके पदचिन्ह भी काफी पुराने व कदीमी वर्षों से बने हुये है जिनकी सुबह–शाम आरती पूजा की जाती है, आरती के समय रोज सैकडो श्रदालू उपस्थित होते है जो सीकर शहर में आस्था का केन्द्र है, दूसरे राज्य व दूर–दराज से श्रदालू आते है एवं बाहर से आने–जाने वाले श्रदालूओं के ठहरने व विश्राम करने के लिये 100–150 वर्षो पूर्व निर्मित भवन आदि बने हुये है जिसमें मंदिर पक्षीशाला, मण्डप व बहुस सी समाधियॉ है एवं गौशाला 100 वर्षो के लगभग बनी हुई जिसमें दुध आदि बाहर नही बेचा जाता है, बगीची की गौशाला का दुध बगीची में आने वाले जात्रियों व साधु संती के लिये ही उपयोग में लिया जाता है।

जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1674, 1675, 1676, 1677 कस्बा सीकर में धर्मिक स्थान गुलाबदासजी की बगीची अंकित है, राजस्व रिकार्ड खसरा पत्रक विक्रम सम्वत 2038 खसरा नम्बर 1674 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1675 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.60 हैक्टयर खसरा नम्बर 1677 रकबा 5.50 हैक्टयर बगीची गुलाबदासजी अंकित है जिसके खसरा पत्रक के कॉलम नं 8 गत भू–माप में 491/1/1/1 अंकित है एवं खसरा पत्रक के कॉलम नं 1 पर बगीची गुलाबदास जी अंकित है, जो धार्मिक स्थान की भूमि है तथा राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर के क्रमांक 1.5(3) न.वि.धि/3/96 दिनांक 10.07.1999 में प्रावधान है कि ऐसी किसी भी भूमि जो मंदिर माफी देवस्थान विभाग या किसी सार्वजनिक ट्रस्ट या किसी धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थन, वक्फ की है उक्त प्रकार की भूमि को नगर पालिका को नियमन/आवंटन करने की शक्ति नही है, ना ही किसी व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार है, जो स्वतः शून्य है। उन्हो ने कथन किया है कि उक्त खसरा नम्बरान गुलाबदासजी की बगीची के नाम से अंकित है जो धार्मिग्क स्थान की भूमि है उक्त जमीन को कोई बेचान नही कर सकता है ना ही खुर्द बुर्द कर सकता है और नही किसी सरकार एजेन्सी को पट्टा कांटने और ना ही नियमन आवंटन करने की शक्ति है। उन्होने कथन किया है कि विक्रम सम्वत् 2038 को राजस्थान भू राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बंदोबस्त) (सरकार) नियम 1957 के तहत सर्वे व भू प्रबन्ध कार्यवाही की गई थी जिसमें राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा (प्रपत्र–3, नियम–19) खसरा पत्रंक तैयार किया गया था एवं उसी समय राजस्व अधिकरियों व कर्मचारियों द्वारा (प्रपत्र–4 नियम 21) पर्चा खतौनी पटवारी, मौहल्ला, गांव के लम्बरदार तथा अन्य ग्रामवासीयों की मौजूदगी में तैयार किया गया था, पर्चा खतौनी व खसरा पत्रंक भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार करने के बाद भुलवंश/सहवन से जमाबन्दी में अंकन नही हुआ इसलिये दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम कस्बा सीकर की पर्चा खतौनी विक्रम सम्वत् 2038 में खसरा नम्बर 1674 के सामने (गैर मुमकीन आबादी) गुलाबदासजी बगीची अंकित है एवं ग्राम कस्बा सीकर का खसरा पत्रंक 2038 खसरा नम्बर 1674 रकबा 0.25 हैक्टयर में बगीची गुलाबदास अंकित है जिसका खसरा पत्रक के कॉलम नम्बर 8 में गत भू–माप में 491/1/1/1 अंकित है एवं खसरा पत्रक के कॉलम नम्बर 1 में गीची गुलाबदास जी अंकित है एवं जमाबन्दी विक्रम सम्वत् 5057 से 2060 में खसरा नम्बर 1674 (गैर मुमकिन आबादी) बगीची गुलाबदासजी अंकित है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के समय पर्चा खतौनी व खसरा पत्रक में गुलाबदासजी बगीची अंकित कर तहसील में भिजवा दिया गया था परन्तु भुलवंश बगीची गुलाबदास जी का अंकन सहवन से नही हुआ है वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1674 के नीचे कोई अंकन नही है इसलिये खसरा नम्बर 1674 के नीचे बगीची गुलाबदास जी का अंकन किया जाना जरूरी एवं आवश्यक होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र

प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथ अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट के हित प्रभावित होने से एवं अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित ही नही किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धार 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है, पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रथम तो वादग्रस्त आराजी नगर पालिका के क्षेत्र में होने से नगर पालिका प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी किन्तु अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है, द्वितीय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एक समरी प्रोसिडिन्स है जिसके माध्यम से केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है जबकि वादग्रस्त आराजी में यदि किसी पक्षकारान के किसी प्रकार के हक, हकूक निहित है तो इसके लिये पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अपने वांछित अनुतोष हेतु चाराजोही करनी चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2017 पारित किया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्ररकण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
संभाग जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।